डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

आम जनता जाट समाज हिण्डौन बनाम रेवती वगैराह

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0

मुकदमा नं0 237 / 1993

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री पी.एल.गोयल मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि वादीगण द्वारा दिनांक 22.05.1993 को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 01 रूल 08 जा0दी0 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में कायम कायम की गई तनकी नं0 7 व 8 के उपरोक्त निर्णयानुसार प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 01.10.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का मुकदमा नं0 237 / 1993 उनवानी आम जनता जाट समाज जरिये प्रतिनिधि रामचरण आदि बनाम रेवतीलाल आदि दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा को आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0[illegible]वधानों के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख [illegible]3-2022 को यह डिकी जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:24 IST
Reason: SelfAttested

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 237/1993 तारीख रजू :–25.05.1993

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह
R.A.S.

आम जनता जाट समाज हिण्डौन बनाम रेवती वगैराह

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा में <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0</u>

उपस्थितः–1.श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थी/प्रतिवादीगण
2.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट अप्रार्थीगण/वादीगण

निर्णय

दिंनाक :– 07.03.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.10.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त प्रकरण वादीगण/ अप्रार्थीगण द्वारा आदेश 01 नियम 08 जा0 दी0 के तहत आम जनता जाट समाज हिण्डौन जरिये प्रतिनिधि व व्यवस्थापक की ओर से प्रतिवादीगण के खिलाफ दायर किया है, जबकि उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा जा0दी0 के उक्त प्रावधान के तहत उसके आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये वगैर अर्थात प्रकरण में बिना अखबार साया के हरखास आम के नोटिस जारी कराये व प्रकरण में प्रतिनिधि वाद हेतु न्यायालय की बिना अनुमति के उक्त दावा दायर किया गया है तथा प्रकर[illegible]गण द्वारा जाट समाज हिण्डौन के प्रतिनिधि होने क[illegible] नहीं किया है और ना ही इस बाबत् न्य[illegible]ही ली है। इसलिए दावा वादीगण कानूनन आदेश 01 नियम 08 जा0 [illegible] के आज्ञापक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:24 IST
Reason: Self Attested

प्रावधानों की पालना नहीं करने से कानूनन पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार पर खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

वादीगण/ अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0 का कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जबाव पेश नहीं किया है। बल्कि वादीगण के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0 में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील वादीगण/ अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित एतराजात के सम्बन्ध में दावा हाजा में तनकी नं07 व 8 कायम की गई हैं जो कि स्पष्ट रूप से विधिक तनकी हैं। इसलिए उक्त दोनों तनकी नं0 7 व 8 प्रार्थना पत्र में वर्णित एतराज से सम्बन्धित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0 व दावे की तनकी नं0 7 व 8 पर एक साथ निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0 व दावे की तनकी नं0 7 व 8 पर एक साथ निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तनकी नं0 7 :– आया जाट समाज सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत गठित एवं रजिस्टर्ड संस्था नहीं होने के कारण दावा हाजा नाकाबिल पेश रफ्त है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे हैं तथा इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0 में यह स्पष्ट रूप से उज्र लिया है कि वादीगण द्वारा जाट समाज हिण्डौन के प्रतिनिधि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के जबावदावा में भी स्पष्ट उज्र लिया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण द्वारा पेश किये गये उक्त दावा को वादीगण ने जाट की सराय हिण्डौन के जाट समाज के मुखिया व प्रतिनिधि होने व जाट समाज की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की व्यवस्था व विवादित भूमि की व्यवस्था भी वादीगण सुचारू रूप से करते रहने और वादीगण द्वारा जाट समाज के प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त वाद वादीगण द्वारा दिनांक 22.05.1993 को पेश किया गया है तथा दावा हाजा के साथ वादीगण के जाट की सराय जाट समाज के मुखिया व प्रतिनिधि होने का कोई भी दस्तावेज वाद पत्र के साथ पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वादीगण जाट की सराय हिण्डौन के जाट समाज के मुखिया व प्रतिनिधि हों तथा जाट की सराय हिण्डौन की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति की मुताविक वाद पत्र व्यवस्था व देखरेख करते हों। जबकि मुताविक कानून प्रतिनिधि वाद दायर करने हेतु जो व्यक्ति समाज के प्रतिनिधि बनकर वाद लाया है उसे स्पष्ट रूप से समाज का प्रतिनिधि होने का तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित करना होता है। वादीगण के द्वारा कोई रजिस्टर्ड संस्था उनके द्वारा जाट की सराय हिण्डौन के जाट समाज के प्रतिनिधि व मुखिया होने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। जबकि दावा हाजा के साथ वरवक्त दायरी दावा वादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में कानूनन वादीगण जाट की सराय हिण्डौन के जाट समाज के मुखिया व प्रतिनिधि होना साबित नहीं होता है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होना साबित है। वादीगण के द्वारा पेश किया गया उक्त वाद जाट समाज सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत गठित एवं रजिस्टर्ड संस्था नहीं होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:24 IST
Reason: SelfAttested

कारण दावा हाजा कानूनन खारिज योग्य है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण खिलाफ वादीगण/ अप्रार्थीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 8 :— आया दावा हाजा जन प्रतिनिधि की हैसियत से आदेश 01 नियम 08 के अन्तर्गत नहीं लाये जाने के कारण दावा हाजा नाकाबिल पेश रफ्त है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0दी0 में यह स्पष्ट रूप से उज्र लिया है कि वादीगण के द्वारा उक्त दावा हाजा दायर करने से पूर्व न्यायालय से प्रतिनिधि वाद दायर करने की कोई अनुमति नहीं ली है और ना ही हरखास आम हेतु प्रतिनिधि वाद अनुसार कोई अखबार साया के नोटिस जारी कराये हैं। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा दिनांक 22.05.1993 को वाद के साथ प्रार्थना पत्र ऑर्डर 01 रूल 08 जा0दी0 पेश किया जिसमें अंकित किया कि वादीगण जाट की सराय कस्बा हिण्डौन के जाट समाज के मुखिया व प्रतिनिधि हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 4719 रकबा 10 बिस्वा जाट समाज की शमशान की भूमि है। जिसकी व्यवस्था रख रखाव वादीगण करते हैं। अतः वादीगण को अन्तर्गत ऑर्डर 01 रूल 08 जा0दी0 प्रतिनिधि वाद पत्र पेश करने की इजाजत दी जावे। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण के द्वारा आदिनांक तक कोई निस्तारण न्यायालय हाजा से नहीं कराया है और ना ही उक्त प्रार्थना पत्र का न्यायालय के समक्ष कभी जिक्र किया है। जबकि मुताविक कानून प्रतिनिधि वाद में उक्त वाद को दर्ज कराने से पूर्व वादीगण को प्रतिनिधि वाद दायर करने की न्यायालय से स्पष्ट अनुमति लेने का आज्ञापक प्रावधान है। जिसकी कानूनन उपेक्षा नहीं की जा सकती। जब प्रतिवादीग[illegible] जवाबदावा पेश किया तो उसमें उक्त प्रार्थना पत्र का [illegible] लिया गया है [illegible] आधार पर उक्त तनकी नं08 कायम की गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण को प्रतिनिधि वाद दायर करने हेतु मुताविक कानून कोई अनुमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा द्वारा दी गई हो ऐसा कोई आदेश पत्रावली की आदेशिका में एवं पृथक से संलग्न नहीं है। वादीगण ने उक्त वाद पत्र में विवादित आराजी खसरा नम्बर 4719 रकबा 10 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन के हाल रिकार्ड की दुरूस्ती कराने बाबत् पेश किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 4719 रकबा 10 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी गै0मु0मरघट है। गै0मु0 मरघट किसी भी समाज या जाट समाज हिण्डौन के नाम खातेदारी में रहने के सम्बन्ध में वादीगण ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। जबकि उक्त जमाबन्दी में दर्ज विवादित आराजी खसरा नम्बर 4719 रकबा 10 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी गै0मु0मरघट सरकारी भूमि है तथा गै0मु0 मरघट सर्व समाज के दाह संस्कार के लिए आरक्षित की जाती है किसी भी एक व्यक्ति विशेष समाज के लिए आरक्षित नहीं होती है। जबकि वादीगण उक्त गै0मु0 मरघट को जाट की सराय के जाट समाज की मानते हुए उक्त वाद पत्र पेश किया है। वादीगण को उक्त वाद पत्र कानूनन पेश करने प्रतिनिधि वाद के तौर पर पेश करने का अधिकार हासिल नहीं है। तनकी नं07 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि कानूनन वादीगण जाट की सराय हिण्डौन के जाट समाज के मुखिया व प्रतिनिधि होना साबित नहीं होता है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होना साबित है। वादीगण के द्वारा पेश किया गया उक्त वाद जाट समाज सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत गठित एवं रजिस्टर्ड संस्था नहीं होने के कारण दावा हाजा कानूनन खारिज योग्य साबित हुआ है। इस प्रकार वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होना साबित नहीं होता है। वादीगण द्वारा [illegible]क [illegible]5.1993 को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 01 [illegible] खारिज योग्य है एवं वादीगण का वाद भी खारिज योग्य है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण खिलाफ वादीगण/ अप्रार्थीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं07 व 8 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण खिलाफ वादीगण/ अप्रार्थीगण हुआ है। तनकी नं0 7 व 8 के निर्णयानुसार प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण द्वारा दिनांक 22.05.1993 को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 01 रूल 08 जा0दी0 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में कायम कायम की गई तनकी नं0 7 व 8 के उपरोक्त निर्णयानुसार प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 01.10.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का मुकदमा नं0237/1993 उनवानी आम जनता जाट समाज जरिये प्रतिनिधि रामचरण आदि बनाम रेवतीलाल आदि दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा को आदेश 01 नियम 08 सपठित धारा 151 जा0 दी0 के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 07.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:24 IST
Reason: SelfAttested